

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री विवेक व्यास, आर.ए.एस
 मुकदमा नंबर 151/2013

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
<p>1. ओमप्रकाश पुत्र गंगाराम जाति संत निवासी सिमरखिया तह0 पचपदरा जिला -बाडमेर</p>		<p>1. कमी बेवा फतेह खां जाति मुसलमान निवासी मांडपुरा हाल निवासी नवेडा बेरा, तहसील पचपदरा । 2. हमले खां पुत्र कांभु खां 3. अलाबक्स पुत्र कांभु खां 4. पीरे खां पुत्र हनीफ खां 5. मुरादी बेवा हनीफ खां 6. अकबर पुत्र चांद खां 7. जले खां पुत्र चांद खां 8. मले खां पुत्र चांद खां 9. अमीन खां पुत्र सुभान खां 10. रेशम खां पुत्र सुभान खां 11. हयाद खां पुत्र सुभान खां 12. भुरी बेवा सुभान खां 13. पीरे खां पुत्र मुबे खां 14. लतीब खां पुत्र मुबे खां 15. मेहरे खां पुत्र मुबे खां 16. अदरीम खां फोजे खां 17. सदीक पुत्र फोजे खां 18. बच्चू खां पुत्र फोजे खां 19. हनीफ खां पुत्र गफूर खां 20. मीले खां पुत्र गफूर खां 21. समू बेवा गफूर खां 22. नुरे खां पुत्र अबु खां 23. मले खां पुत्र अबु खां 24. बरगत पुत्र मुरीद खां 25. बच्चू खां पुत्र मुरीद खां 26. शैरू खां पुत्र मुरीद खां 27. जले खां पुत्र मुरीद खां 28. नेकुख खां पुत्र मगने खां 29. कोजे खां पुत्र रहीम खां 30. गोपे खां पुत्र रहीम खां 31. नुरे खां पुत्र सायब खां सभी जातियान मुसलमान विप्रार्थीगण सं 2 ता 31 निवासीयान मांडपुरा तह0 पचपदरा, जिला बाडमेर । 32. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा ।</p>



151/2013

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

धना-पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 हेतु पैमाईश
जारिये पत्थरगञ्जी।

आदेश

दिनांक : 17.07.2023

उपरोक्त अनवान मुकदमा में आदेश दिनांक 16.06.2015 के द्वारा प्रार्थीगण की
खातेदारी भूमि मौजा बागावास, पटवार हल्का बागावास, भू-निरीक्षक क्षेत्र पाटोदी, तहसील
पचपदरा की राजस्व सीमा में भूमि में खेत खसरा सं. 486 कुल एकबा 6 बीघा 6 विस्वा
बारानी किस्म बारानी अव्वल विवादित भूमि के नेखम स्थापित हेतु तहसीलदार पचपदरा को
मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया था। तहसीलदार पचपदरा के पत्र क्रमांक/ भूअ.
/नेखम/ 2023/1342 दिनांक 17.04.2023 के संलग्न फर्द मौका नेखमबन्दी दिनांक
17.04.2023 प्राप्त हुई उक्त फर्द मौका नेखमबन्दी को कनफर्म किया जाता है। पुलिस इमदाद
की यदि आवश्यकता हो तो सम्बन्धित पुलिस थाना से प्राप्त करें।



(विवेक व्यास)

उपखण्ड अधिकारी,
(S.D.O.) बालोतरा

क्रमांक /रीडर/ 2023/
दिनांक :-

1. तहसीलदार पचपदरा आदेशानुसार पालना सुनिश्चित करें।
2. थानाधिकारी पुलिस थाना मण्डली को आदेश दिया जाता कि उक्त आराजी में नेखमबन्दी करवाये जाते वक्त पुलिस इमदाद तहसीलदार पचपदरा द्वारा मांग किये जाने पर आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करावें।

(विवेक व्यास)

उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा